अतिआवश्यक
तत्काल
अतिमहत्वपूर्ण
21/5/24

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

4641

क्रमांक /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल..............................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.................................

विषयः– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायी वर्गीकरण के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की संपूर्ण एरियर राशि देने के आदेश वाले न्यायालयीन प्रकरणों में तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर करने विषयक।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 13300/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27.09.2023 एवं पत्र कमांक 3173/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां./भोपाल दिनांक 02.04.2024

00

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान समय तक की अथवा विनियमितीकरण योजना दिनांक 01.10.2016 तक की सम्पूर्ण एरियर राशि प्रदान करने के आदेशों के विरूद्ध तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर कर एरियर राशि को रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक ही सीमित करवाने का प्रयास करें। इस संबंध में आपको विभागीय बेवसाइट पर ''विधिक मार्गदर्शन'' शीर्षक के अंतर्गत कमांक–7 पर एक रिव्यू पिटीशन का ड्राफ्ट की उपलब्ध कराया गया है।

आपके सूचनार्थ प्रेषित है कि **विभाग में इस प्रकृति का एक प्रकरण, जो खंड सीधी से संबंधित है, रिट पिटीशन कमांक 6277/2023 (गंगा प्रसाद दुबे एवं 03 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) आया है, जिसमें रिट पिटीशन के निर्णय दिनांक 11.01.2024 में माननीय न्यायालय ने वर्ष 1998 से वर्तमान तक की एरियर राशि देने के आदेश दिये थे। बाद में विभाग द्वारा समय पर दायर की गई रिव्यू पिटीशन कमांक 343/2024 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम गंगा प्रसाद दुबे एवं 03 अन्य) में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश को संशोधित करते हुये एरियर राशि को रिट याचिका दायर**

20-5-2024

Seema 2024

करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया है।

रिट पिटीशन क्रमांक 6277/2023 एवं रिव्यू पिटीशन क्रमांक 343/2024 दोनों के निर्णयों की प्रतियाँ आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित हैं।

पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण एरियर राशि वाले निर्णयों को किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से पेंडिंग ना रखा जावे तथा ऐसे निर्णयों को तत्काल ही, विभाग के पास उपलब्ध निर्णयों के आधार पर रिव्यू पिटीशन दायर कर, संशोधित करवाने का प्रयास करें। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो कार्यालय की विधि शाखा से भी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

यहाँ तक कि जिन प्रकरणों में अवमानना न्यायालय में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के कारण सम्पूर्ण एरियर राशि का भुगतान कर भी दिया गया है, उन्हें भी रिव्यू पिटीशन/रिट अपील लगाकर संशोधित करवाने का प्रयास अनिवार्य रूप से किया जाना है ताकि वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में उदाहरण बन सकें। ग्वालियर परिक्षेत्र के प्रकरण ''रामशंकर सिंह'' एवं ''शोभाराम'' में भी इस कार्यालय द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3246 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से, स्वीकृतियों को भविष्य में दायर होने वाली रिव्यू पिटीशन एवं संभावित रिट अपील/एस.एल.पी. के अध्याधीन किया जाना संसूचित किया गया था। इन प्रकरणों में भी तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर कर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

पुनः आपको अवगत कराया जाता है कि किसी भी स्थिति में भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में संपूर्ण एरियर राशि की स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा प्रदान नही की जावेगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार दो निर्णय

20-5-2024

प्रमुख अभियंता